न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
161/20	28.10.21	28.12.21

उनवान

1. पूजारानी उपनाम राजकुमारी मंगलानी पत्नि श्री विनोदकुमार जाति खत्री निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास। :–वादीयाः–

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें श्रीमान तहसीलदार (पैरोकार सरकार) तहसील किशनगढबास

:– प्रतिवादीः–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री साहिद वकी वादी की ओर से
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार

निर्णय 28.12.21

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

राजस्व ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजीयात ख0न0 100 रकबा 0.3200 हे0 चा0अ0 ,105 रकबा 0.0800 हे0 चा0 आलिफ किता दो रकबा 0.4000 हे0 दर्ज खाता सं0 82 जमाबंन्दी संवत 2073–2076 के अनुसार वादीया की निजी खातेदारी वो कब्जा काश्त की आराजी है जिसकी वादीया स्वयं रिकार्डेड खातेदार काबिज है। जिसमें से आराजी ख0न0 100 रकबा 0.3200 हे0 मौजूदा वाद में विवादित आराजी है नकल जमाबंदी संवत 2073 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी सहित दीगर ख0न0 105 वाके ग्राम झिरण्डिया वादीया की तन्हा खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है, जिसपर बरौज खरीद से वादिया बतौर मालिक खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है। विवादित आराजी सहित ख0न0 105 की बाबत समस्त हक हकूक राईटस वादिया को हासिल है ओर वादीया ने अपनी खातेदारी आराजी पर केसीसी(किसान क्रेडिट कार्ड) ओ0बी0सी0 बैक शाखा किशनगढबास से जारी कराया हुआ है।उपरोक्त विवादित आराजी से बालू पुत्र उदा कौम खाती निवासी झिरण्डिया का किसी प्रकार का सम्बध वो सरोकार वास्ता नही है, ना कब्जा है, ना पूर्व में रहा, वादिया के खरीद से पूर्व कभी बालू नामक व्यक्ति ने वक्त सेटिलमेन्ट आराजी को काश्त किया था, जिसके नाम का अंकन शिकमी काश्त इन्द्राज खिलाफ मोका एवं खिलाफ कानून दर्ज कर दिया गया, जो गलत इन्द्राज ताहाल जमाबन्दीयों में दर्ज होता आ रहा है। चूकिं बालू पुत्र उदा खाति का कोई कब्जा काश्त आराजी पर नही रहा, ना आज ही है।जो गैर काबिज गैर वाश्ता है, जो गांव निवास नही करता है पता नही जीवित है, या फौत हो गया, जिसके कोई वारिसान भी गांव मं नही रहते, ना ही उसके

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कोई वारिसान का अता पता भी वादीया को नही है। किन्तु शिकमी काश्त का गलत अंकन के कारण वादीया को आराजी मुतनाजा को बेचान करने, विनियम करने कृषि विकास करने में बडी परेशानी आ रही है। जिसे वादीया हजफ कराकर अपने आपको खातेदार दर्ज कराने की अधिकारी है, चूकिं उपरोक्त अंकन **शिकमी काश्त** आज दर्ज रहने से हकूक वादीया पर कुठाराघात हो रहा है। जबकि कानून शिकमी काश्तकार को आराजी पर कोई राईटस भी प्राप्त नहीं है। इस लिये वादीया उपरोक्त गलत अंकन को नल एण्ड वाईड करार दिलाकर कलमजन करा पाने का अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती दायर करना लाजिम आया है। वादीया आराजी की रिकार्डेड खातेदार बरोज खरीद से निरन्तर काबिज है। वादीया महिला है जिसे अदालती कार्यवाहीयों का ज्ञान नही है। माह सितम्बर में वादीया ने आराजी का विनियम कराना चाहा तो राजस्व कर्मचारियेा एवं अधिकारियो ने बताया कि बिना शिकमी काश्त को हटवाये विनियम कराया जाना सम्भव नही है। जिन्होने सक्ष्म न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत दी इस लिये बिनादेरी वाद दायर करना लाजिम आया है।

वादपत्र वादीया ने प्रतिवादी राज0स्टैट को पक्षकार मुकदमा बनाया जा रहा है। चूकि वाद वादिया अरजेन्ट नेचर का है। अतः वादपत्र वादीया के साथ 80(2) जा0 दीवानी का प्रार्थना पत्र वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वाद तहकीकात वाद वादीया निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावेंः–

अ– यह है कि डिक्री इश्तकाराहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि विवादित आराजी पर जो शिकमी काश्त का अंकन बालू पुत्र उदा खाती का दर्ज जमाबन्दी हो रहा है, खिलाफ कानून खिलाफ मौका कब्जा है हकूक वादीया के विरूद्व नल एण्ड वाईड है। हजफ होने योग्य है। जिसे ख0न0 100 रकबा 0.3200 वाके ग्राम झिरिण्डया से कलमजन कराया जाकर वादीया को खातेदार दर्ज कराया जाकर दुरूस्ती करायी जावे।

ब– दीगर न्यायोचित दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे अताः फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादी ने दावा को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि यदि विवादित आराजी से शिकमी काश्त कलमजन कर दिया जावे तो कोई राजस्व हानि नही है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी । हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संन 2006(2063) जिसमें आ0ख0न0 100 रकबा 0.32 हे0, ख0न0 105 रकबा 0.08 हे0 का मूल खातेदार सुखमल पुत्र लाभ सिंह खत्री सा0 देह खातेदार दर्ज था। जिसने आराजी उक्त का जरिये बयनामा दिनांक 27.12.2005 के द्वारा वादियों को बेंचान कर दी तथा वादिया के हक में बेंचान का इंतकाल हाल जमाबंदी संवत 2073 में अमल भी हो रहा है । तथा वादिया ने आराजी उक्त पर केसीसी भी जारी करवाया हुआ है। जिसको वादिया द्वारा ही रहन फक करवाई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

है। जिससे साबित होता है कि वादिया ही आराजी उक्त की असल खातेदार है आराजी विवादित पर जो **शिकमी काश्त** का अंकन बालू पुत्र उदा खाती का हो रहा है उसे उसे हजफ किया जाना उचित एवं न्यायासंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 100 रकबा 0.3200 हे0 पर बालू पुत्र उदा खाती **शिकमी काश्त** दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट:- आ० ख०न० 100 रकबा 0.3200 हे० के आगे वाके ग्राम खिरलिया पढ़ाजावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
161/20	**28.10.21**	**28.12.21**

उनवान

1. पूजारानी उपनाम राजकुमारी मंगलानी पत्नि श्री विनोदकुमार जाति खत्री निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास। :–**वादीया**:–

बनाम

2. राज0 सरकार जरियें श्रीमान तहसीलदार (पैरोकार सरकार) तहसील किशनगढबास

:– **प्रतिवादी**:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति:–

1.श्री साहिद वकी वादी की ओर से

2.प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार

पर्चा डिक्री

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 100 रकबा 0.3200 हे0 पर बालू पुत्र उदा खाती **शिकमी काश्त** दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

नोट:- आ0ख0न0 100 रकबा 0.32 हे0 के आगे वाके ग्राम बिरढियां पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)